प्रेषक,

निदेशक, उच्च शिक्षा
उत्तराखण्ड, हल्द्वानी (नैनीताल)

संशोधित

सेवा में,

1. कुलसचिव
कुमायूँ विश्वविद्यालय, नैनीताल/एस0एस0जे0 विश्वविद्यालय, अल्मोडा/
श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय, बादशाहीथौल
2. प्राचार्य,
राजकीय स्नातक/स्नातकोत्तर महाविद्यालय
उत्तराखण्ड।
3. प्रबन्धक/प्राचार्य
समस्त अशासकीय अनुदानित महाविद्यालय
उत्तराखण्ड।

पत्रांकः डिग्री–प्लान/ – /2023–24 दिनांक 15 सितम्बर, 2023

विषयः **शैक्षणिक सत्र 2023–24 में प्रवेश से वंचित छात्र/छात्राओं को स्नातक कक्षा में ऑफलाईन पंजीकरण के माध्यम से प्रवेश दिये जाने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मा0 उच्च शिक्षा मंत्री जी द्वारा समीक्षा बैठक में लिय गये निर्णय के कम में कतिपय कारणों से उच्च शिक्षण संस्थानों में प्रवेश से वंचित छात्र/छात्राओं को प्रवेश हेतु अन्तिम मौका दिये जाने हेतु निर्देशित किया गया है।

तद्कम में यह निर्देशित किया जाता है कि ऐसे समस्त छात्र/छात्राऐं जो शैक्षणिक सत्र 2023–24 में प्रवेश हेतु समर्थ पोर्टल पर ऑनलाईन पंजीकरण नहीं कर पाये हैं अथवा केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में प्रवेश से वंचित एवं सुधार परीक्षा में उत्तीर्ण 12वीं कक्षा के छात्र/छात्राओं हेतु अपने–अपने राज्य विश्वविद्यालय परिसरों एवं उनसे सम्बद्ध महाविद्यालयों में ऑफलाईन पंजीकरण के माध्यम से प्रवेश प्रकिया प्रारम्भ करना सुनिश्चित किया जाये।

ऑफलाईन पंजीकरण प्रकिया में छात्र/छात्राओं को विश्वविद्यालय अथवा महाविद्यालय में उपस्थित होकर पंजीकरण शुल्क रू0 50/– (रू0 पचास मात्र) जमा करते हुए ऑफलाईन आवेदन पत्र संलग्न प्रारूप **(संलग्नक–1)** में पूरित किया जाना होगा। पंजीकरण प्रकिया पूर्ण होने के पश्चात ही समर्थ पोर्टल खोले जाने हेतु पृथक से दिशा–निर्देश दिये जायेंगे।

कृपया उपरोक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।

संलग्नः उक्तवत्।

भवदीय,

/

(डॉ0 सी0डी0 सूँठा)
निदेशक, उच्च शिक्षा
उत्तराखण्ड, हल्द्वानी (नैनीताल)

पृ0सं0/ 1048(i-ii) /2023–24 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. अपर सचिव, उच्च शिक्षा, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
2. नोडल अधिकारी, समर्थ, उच्च शिक्षा विभाग, देहरादून।

(डॉ0 सी0डी0 सूँठा)
निदेशक, उच्च शिक्षा
उत्तराखण्ड, हल्द्वानी (नैनीताल)